भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हवलदार के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना</u>

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 0सं .ज्ञा.के का 13.10.2015 में के अनुपालन (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में **<u>हवलदार</u>** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक भर्ती णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30, (Thenkholal baite) अनुभाग अधिकारी -एमएच)II(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ईमेल कर सकते - हैं।

ग.सामंत
ग. प्र. सामंत
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

(भारत सरकार)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2019

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध हवलदार के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में हवलदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (हवलदार), समूह-'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हवलदार	2* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)	अचयन।	30-40 वर्ष के बीच टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ii) हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान। iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त संगठनों या सांविधिक संगठनों या केन्द्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाओं में श्रम मुद्दों को संभालने में दो वर्ष का अनुभव। iv) सीधी भर्ती की दशा में पद को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने पर विचार किया जाएगा। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार वहां उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार वहां उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं अर्हता: हां	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में समूह ग पदों में से पदोन्नति जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपए) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	प्रोन्नति और संपुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभारी उपनिदेशक - सदस्य	लागू नहीं होता।

[ए. 11018/9/2019-एमएच II]

(जी.पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार